भारत सरकार
सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय
सीमाशुल्क गृह, विल्लिंगटन आईलेंड, कोचिन- 682009
Fax: 0484-2668468
Website : www.cochincustoms.gov.in
e-mail : cochincustoms@nic.in
Sevottam compliant

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
CUSTOM HOUSE, W/ISLAND, COCHIN- 682009
टेलीफोन 0484-2666861 to 2666864
Telephone 0484-2666774 / 2666776
Control Room 0484-2666422
An IS 15700 certified Custom House

C. No C1/08/2016 TU Cus. तारीख Dt. 30/06/2016

व्यापार सुविधा TRADE FACILITY 08 - 30/06/2016

विषय : सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय, कोचिन में एस.एम.एस. सेवा शुरू होना - संबंधित।

SUBJECT : SMS SERVICE STARTED IN THE OFFICE OF COMMISSIONER OF CUSTOMS, COCHIN - REG.

कोचिन सीमाशुल्क के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय एवं उद्योग, सभी सीमाशुल्क ब्रोकर, आयातक एवं निर्यातक तथा अन्य पणधारियों के ध्यान में लाया जाता है कि धनवापसी और शुल्क वापसी दावों की प्रोसेसिंग के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सूचना भेजने के लिए धनवापसी और शुल्कवापसी विंग में कोचिन सीमाशुल्क दिनांक 01 जुलाई, 2016 से डाक/मेल के अतिरिक्त एक शॉर्ट मेसेजिंग सर्विस (एस.एम.एस.) की शुरुआत कर रहा है।

It is brought to the notice of trade & industry, all the custom brokers, importers & exporters and other stakeholders falling under Cochin Customs that Cochin Customs is starting a Short Messaging Service (SMS) from 1st July 2016 in the refund and drawback wing to disseminate information related to various aspects of processing of refund and drawback claim in addition to the postal letters/mail.

2. इस आयुक्तालय के व्यवसाय और उद्योग जगत ने कई बार सूचित किया है कि सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय, कोचिन बहुत दूर होने के कारण उन्हें अपने दावों की प्राप्ति एवं पंजीकरण की पावती मिलने में, व्यक्तिगत सुनवाई संबंधी पत्र तथा विभाग द्वारा जारी अंतिम आदेश (शुल्कवापसी एवं धनवापसी) मिलने में बहुत देरी हो रही है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि जब भी वे व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख बदलने का अनुरोध करते हैं, तो उनके अनुरोध की प्राप्ति संबंधी पत्राचार में भी विलंब होता है।

The trade & industry in this commissionerate had repeatedly informed that owing to large distances from Office of Commissioner, Cochin Customs, they face delay in getting an acknowledgement for the receipt and registration of their claims; in receiving personal hearing letters in time as also the final orders (Drawback or Refund) issued by the department. They also informed that whenever they request for a change of date of hearing, the communication regarding the receipt of their request also gets delayed.

3. इन चिंताओं का समाधान करने के लिए और व्यापार करने की सुविधा में सुधार करने के लिए इस कार्यालय ने एक प्रणाली की शुरुआत की है जिसके माध्यम से उपर्युक्त पहलुओं से संबंधित जानकारी पणधारियों को डाक/ई-मेल के अलावा एस.एम.एस. से भी भेजी जाएगी।

In order to address such concerns and as a measure for improving the ease of doing business, this office has put in place a system whereby the information with respect to the above aspects shall be disseminated to the stake holders by way of SMS in addition to the postal letter/e-mail.

4. इस प्रणाली के अंतर्गत यह कार्यालय आवेदकों को, जैसा भी मामला हो, एस.एम.एस. भेजेगा। कुछ ऐसे मामले जिनमें एस.एम.एस. भेजे जाने चाहिए, नीचे दिए गए हैं:

As a part of this system, this Office shall send the SMSs, as the case may be, to the applicants. Some of the instances where SMS shall be sent are as under:

a) धनवापसी/शुल्कवापसी का आवेदन मिलने पर : किसी आवेदक से आवेदन मिलने और उस पर संख्या निर्दिष्ट करने के बाद, निम्नलिखित संदेश भेजा जाएगा।

हमें आपका दिनांक.XX.XX.2016 का (Ref/DBK) दावा प्राप्त हुआ है और उसे दिनांक XX.XX.2016 को दावा सं. SXX/XXX/2016 – XXX-Cus. के रूप में पंजीकृत किया गया है।

Receipt of application of refund/drawback: After an application is received from an applicant and a number assigned to the same, the following message shall be sent.

We are in receipt of your (Ref/DBK) claim dt.XX.XX.2016 and It has been registered on XX.XX.2016 as Claim No. SXX/XXX/2016 – XXX-Cus.

b) व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख : उप आयुक्त (शुल्कवापसी/धनवापसी) द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के लिए तारीख प्रदान किए जाने पर निम्नलिखित संदेश भेजा जाएगा:

आपके (Ref/DBK) दावा दिनांक dt.XX.XX.2016 के संदर्भ में, व्यिक्तगत सुनवाई दिनांक XX.XX.2016 को XX.XX बजे निर्धारित की गई है।

Date of Personal Hearing: On according the date for personal hearing by the Deputy Commissioner (drawback/refund), the following message shall be sent:

With reference to your (Ref/DBK) claim dt.XX.XX.2016, Personal Hearing has been fixed on XX.XX.2016 at XX.XX Hrs.

c) व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने के लिए आवेदन: किसी अपीलकर्ता से व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने संबंधी आवेदन प्राप्त होने पर एक पावती संदेश भेजा जाएगा।

Request for postponement of personal hearing: On receipt of a request for change in date of personal hearing from an appellant, an acknowledgment message shall be sent.

d) अंतिम मूल आदेश जारी करना: अंतिम आदेश जारी करने पर, उसे डाक से भेजने से पहले, निम्नलिखित संदेश भेजा जाएगा।

आपके दिनांक XX.XX.2016 के दावे के संदर्भ में अंतिम आदेश दिनांक XX.XX.2016 को पारित किया गया है। जो आपको डाक से जल्दी ही मिल जाएगा।

Issuance of final Order-in-Original: On issuance of the final Order, before its dispatch by Post, the following message shall be sent:

With reference to your Claim dt. XX.XX.2016, the final order has been passed on XX.XX.2016. The same shall reach you by Post shortly.

e) डेफिशन्सी मेमो जारी करने के मामले में इसके संबंध में भी एसएमएस से सूचना दी जाएगी।
In case where deficiency memo is issued, information in this regard would also be sent by SMS

f) यह सुविधा सभी धनवापसी आवेदनों, शुल्कवापसी के लिए पूरक दावों, ब्राण्ड दर शुल्कवापसी और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74 के तहत किए गए दावों के लिए दी जाएगी।
This facility will be for all refund applications, supplementary claims for drawback, Brand rate drawback and claims made under Section 74 of Customs Act, 1962.

5. ऐसे एस.एम.एस भेजने के लिए इस कार्यालय ने भेजने वाले का नाम मोबाइल स्क्रीन पर "VM – CUS COK" दिखाने की व्यवस्था की है।

For sending such SMS's, this Office has christened the sender as visible on mobile screen as "VM – CUS COK"

7. इस योजना को सफल बनाने के लिए एक पूर्वापेक्षा सभी आवेदकों के मोबाइल नंबरों की उपलब्धता है। सभी शुल्कवापसी/धनवापसी दावेदारों/आवेदकों से अनुरोध है कि वे अपने आवेदन फार्म के कलेवर पर प्राधिकृत वित्त प्रबंधक/ प्रबंधक (प्रचालन) का मोबाइल नंबर उपलब्ध करवाएं। मोबाइल नंबर उपलब्ध करवाना पूर्ण रूप से वैकल्पिक है और व्यवसाय तथा उद्योग जगत के लाभ के लिए है ताकि वे इस सुविधा का लाभ उठा सकें। मोबाइल नंबर फार्म के कलेवर पर उपलब्ध करवाना चाहिए। इसके अलावा इसे धनवापसी/शुल्कवापसी अनुभाग में- 0484266612 फोन नंबर पर भी दिया जा सकता है।

A pre-requisite for making this scheme a success is the availability of the mobile numbers of the applicants. All Claimants/Applicants of Drawback/Refund are requested to furnish the mobile number of the authorized Finance Manager/Executive (Operations) in the body of refund application form. The furnishing of mobile number is purely optional and is for the benefit of the trade & industry so that they can avail of this facility. The mobile number may be furnished in the body of the Form. Alternatively, the same may be furnished in the refund/drawback section – 0484 266612.

8. सभी व्यापार एसोसिएशनों से अनुरोध है कि वे इस व्यापार सुविधा में उल्लिखित बातों का सामान्य रूप से सभी निर्यात एवं व्यापार जगत के बीच प्रचार करें। कोई कठिनाई होने पर कृपया निम्नलिखित अधिकारी से दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें:

All trade associations are requested to give wide publicity to the contents of this trade notice among all exporters and the trade in general. In case of any difficulty, please contact -

उप आयुक्त (शुल्कवापसी/धनवापसी) Deputy Commissioner (Drawback/Refund); at – 0484 2666612/2669851

Sd/-

(डॉ. के. एन. राघवन DR.K.N.RAGHAVAN)

आयुक्त COMMISSIONER

//अनुप्रमाणित / ATTESTED//

//बैजू डानियल BAIJU DANIEL//

मूल्य निरूपक (टैरिफ यूनिट) APPRAISER (TARIFF UNIT)

प्रतिलिपि Copy to:

1. The Chief Commissioner's Office, Cochin
2. Commissioner's file/Addl. Commissioner/All DCs & ACs/Development Commissioner (CSEZ)/All Appraisers/
3. All Sections
4. EDI Section for uploading on Website of Cochin Customs
5. The Chairman, Cochin Port Trust
6. All CFSs
7. All Bank Managers as per list of authorized Banks w.e.f. 16.01.2012
8. The Cochin Custom House Agent's Association
9. Guard file
10. Notice Board